देवघर समाहरणालय
(जिला भू अर्जन शाखा)

–: अधिसूचना :–

अधिसूचना संख्या 499 **/भू अ0** **दिनांक :** 25/07/2017

चूँकि झारखण्ड सरकार / समाहर्त्ता को यह प्रतीत होता है कि **ग्राम–धनहेत, थाना–सारवां, थाना सं०– 40, अंचल–सारवां, जिला–देवघर** में भूमि सार्वजनिक प्रयोजन, यथा परियोजना **देवघर–मधुपुर पथ उन्नयन परियोजना** हेतु अपेक्षित है। प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजनार्थ अपर समाहर्त्ता अथवा नियम 2(1)(ख) के तहत नियुक्त पदाधिकारी प्रशासक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अतएव अधिसूचित किया जाता है कि **ग्राम–धनहेत, थाना–सारवां, थाना सं०–40, अंचल–सारवां, जिला–देवघर** में उपर्युक्त कथित परियोजना के लिए कमोवेश **0.24 एकड़** मानक माप का भूखंड, जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है, अर्जनाधीन है–

क. स.	खाता सं.	सर्वे भूखंड सं0	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़ में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं0)			
							उ0	द0	पू0	प0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	14	2	रैयती	बाड़ी–2	0.03	अनुप महतो पिता स्व0 झालो महतो।	दाग – 08	दाग – 03	दाग – 08	दाग– 01
2	14	3	रैयती	बाड़ी–2	0.03	बुधनी देवी पे0 स्व0 चुटो महतो वो राजेश महतो माता उगनी देवी वो अनुप महतो पिता स्व0 झालो महतो वो ठाकुर महतो पिता स्व0 दुखन वो बाली पंडित पिता स्व0 तेजु महतो वो लेदो पंडित वो प्रभु पंडित वो तेतर पंडित पिता स्व0 हरि महतो वो नुनधन पंडित पिता स्व0 सुकन महतो वो मुरलीधर महतो वो त्रिपुरारी महतो पिता चांदो महतो वो चिहती देव्या पति लुटन महतो वो लोकनाथ पंडित पिता स्व0 निरो महतो वो संतु महतो पिता स्व0 डोमन महतो वो बीरबल पंडित पे0 दिलो महतो।				
3	14	4	रैयती	बाड़ी–2	0.045	तथैव				
4	14	6	रैयती	बाड़ी–2	0.015	बुधनी देवी पे0 स्व0 चुटो महतो वो राजेश पंडित माता स्व0 उगनी देवी				
5	14	7	रैयती	बाड़ी–2	0.12	ठाकुर महतो पे0 दुखन महतो वो बाली पंडित पे0 तेजु महतो वो लेदो पंडित वो प्रभू पंडित वो तेतर पंडित पें0 स्व0 हरि पंडित वो नुनधन पंडित पे0 स्व0 सुकन महतो।				
				कुल रकवा–	0.24					

यह अधिसूचना भू–अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम–2013 (अधिनियम संख्या 30/2013), की धारा–11 (1) के उपबंधों के अधीन सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है।

भूमि की योजना का निरीक्षण जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, देवघर के कार्यालय में किसी कार्य दिवस को कार्यावधि में किया जा सकेगा। झारखण्ड सरकार/समाहर्त्ता–सह–समुचित सरकार उक्त

c:\documents and settings\manoj\desktop\adhisuhna\dhanhet.docx

अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं यथाविनिर्दिष्ट कार्यों के समुचित निष्पादन हेतु अपेक्षित किसी भूमि का सर्वेक्षण एवं उसकी प्रविष्ट करने, किसी भूमि के किसी स्तर को मापने के लिए, अवभूमि खोदने या भू–वेधन–छिद्र करने सहित सभी अन्य कार्यों के संचालन करने हेतु जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, देवघर और उनके कर्मचारियों को प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई व्यक्ति जिला समाहर्त्ता के पूर्विक अनुमोदन के बिना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई अंतरण यथा क्रय/विक्रय नहीं करेगा या ऐसा कोई अंतरण करवाएगा या ऐसी भूमि पर कोई अवभार नहीं उत्पन्न करेगा। अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथाउपबंधीत इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के अंतर्गत भू–अर्जन की बाबत किसी प्रकार की आपत्तियॉ हितबद्ध व्यक्ति द्वारा जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, देवघर के समक्ष दर्ज की जा सकेगी।

जिला भू अर्जन पदाधिकारी
देवघर

अपर समाहर्त्ता
देवघर

समाहर्त्ता–सह–उपायुक्त,
देवघर।

ज्ञापांक 499 / भू अ0, देवघर, दिनांक 25/07/2017

प्रतिलिपि : संबंधित भूधारियों को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अंचल अधिकारी, सारवां को सूचनार्थ एवं सूचना पट्ट में लगाने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : अनुमण्डल पदाधिकारी, देवघर को सूचनार्थ एवं सूचना पट्ट में लगाने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, देवघर को दो दैनिक समाचार पत्रों में जिसमें से एक स्थानीय भाषा में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, जिला गजट शाखा, देवघर को आगामी असाधारण/पाक्षिक अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, देवघर को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि देवघर जिला के वेबसाईट पर प्रदर्शित करने का कृपा करें।

समाहर्त्ता–सह–उपायुक्त,
देवघर।

जिला भू अर्जन पदाधिकारी
देवघर

अपर समाहर्त्ता
देवघर